झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा

द्वितीय –सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें झारखण्ड विधान–सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 09.03.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है :–

क्र0 सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01	श्री अशोक कुमार श्री रघुनन्दन मंडल एवं श्री राधाकृष्ण किशोर	गोड्डा जिला के साथ–साथ पूरे झारखण्ड राज्य में पैक्स के द्वारा किसानों का धान क्रय नहीं किये जाने के कारण किसान खुले बाजार में 1000/– रू0 प्रति क्विंटल से भी कम दर पर धान बेचने पर मजबूर है। जबकि खाद एवं बीज के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। किसानों को धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से वे कर्ज में डूबते जा रहे है। किसानों के हित में सरकार धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2100/– रू0 प्रति क्विंटल एवं धान खरीद पर 300/– प्रति क्विंटल बोनस के साथ पैक्स के माध्यम से धान खरीद की जाय, किसानों को 2% ब्याज दर पर ऋण मुहैया, किसानों के पुराने ऋण का ब्याज की माफी,किसानों के खेतों में सिंचाई हेतु टयूबवैल की व्यवस्था के साथ–साथ गोड्डा जिला को फुड ग्रेन सरप्लस जोन के रूप में विकसित करने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले
02	श्रीमती निर्मला देवी स0वि0स0	रामगढ़ जिलान्तर्गत स्थित 1.रामगढ़ स्पंज एवं आयरन, होसिर गिद्धि, 2. माँ छिन्नमस्तिका हेहल बरकाकाला 3. झारखण्ड आयरन एण्ड इस्पात हेसल 4. आलोक स्टील प्राईवेट लिमिटेड करमा कुजू 5. अनन्दिता आयरन एण्ड स्टील	वन एवं पर्यावरण

क्र0 पृ0 3-

		चुम्बा गिद्धि के द्वारा सी०सी०एल के पदाधिकारियों के मिली भगत से कोयले की अवैध आपूर्ति की जा रही है, जिससे हर माह करोड़ों का चुना सरकार को लगाया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से 1.गिद्धि कोलयरी 2. करमा कोलियरी (सुगिया) 3. बरकाकाना डम्प 4. घाटों कोलयरी 5. उरीमारी कोलयरी 6. रजरप्पा कोलयरी तथा माण्डू स्थित पूण्डी कोलयरी से उक्त कम्पनियों को फर्जी कागजात बनवाकर कोयले की आपूर्ति की जाती है साथ ही अधिकांश कम्पनियां हजारीबाग एवं रामगढ़ जिला के विभिन्न आवासियों इलाकों में अवस्थित होने से इनके चिमनियों से निकलने वाले धुएं छाई एवं कारखानों से प्रवाह होनेवाली गन्दा पानी पूरे इलाके को प्रदूषित कर रहा है। जिसमें आस-पास की पूरी आबादी संक्रामक रोगों से ग्रसित हो रहा है । अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये मांग करती हूँ कि राज्य हित तथा जनहित में उपरोक्त सभी विन्दुओं पर राज्य स्तरीय एजेंसी से जाँच कराते हुए, कार्रवाई करने की माँग करती हूँ।	
03	श्रीमती गंगोत्री कुजूर श्री साधु चरण महतो, एवं श्री रघुनन्दन मण्डल स०वि०स०	हमारी सरकार राजधानी राँची के चतुर्दिक विकास के लिए कृतसंकल्प है, लेकिन भू माफियाओं द्वारा सरकार की मंशा को धुमिल किया जा रहा है। इन दिनों सड़कों, नदियों, नालों और नालियों को भी ये नहीं छोड़ रहे है। और रात के अंधेरे में अतिक्रमण को अंजाम तक पहुंचा रहे है। इसी क्रम में करम टोली तालाब से डिस्टरी कोकर तक 10-25 फीट चौडे बहते हुए प्राकृतिक ढोढ़ा नालों को भू माफियाओं द्वारा भरकर समतल कर दिया गया है, और दलाली कर उसे बेच भी दे रहे है। इससे राँची शहर के पेयजल एवं जल निकासी पर खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इसी प्रकार से जब नदियों, नालों को ये पाटते रहेगें तो कश्मीर जैसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो जायगी। क्योंकि जल निकासी शनैः-शनैः बन्द हो जाएगी और वहीं भविष्य में खतरा का कारण बन जायगा। अतः इस पर तुरन्त रोक लगाते हुए भू माफियों को चिन्हत कर उनपर कठोरतम कार्रवाई की जाय, ताकि	नगर विकास

इ० प्र० ३०

		राजधानी राँची की खुबसूरती कायम रह सके और पेयजल पर आने वाले संकट एवं उत्पन्न होनेवाली भयावह स्थितियों से बचा जा सके। इस ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।	नगर विकास
04	श्री अनन्त कु0 ओझा श्री विरंची नारायण एवं श्री संजीव सिंह स0वि0स0	जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र कदमा में सरकार द्वारा कम्पनी को लिज पर दिये गये भू खण्ड पर फूड प्लाजा अवस्थित है। स्थानीय आम आदमी इस फूड प्लाजा का समुदायिक उपयोग उसी प्रकार करते है जिस प्रकार उच्च वर्ग के नागरीक क्लबो का करते है। विगत कुछ दिनों से इस 'भू खण्ड पर स्थित फूड प्लाजा को बन्द कर दिया गया है, जिसका लाभ उठाकर करोड़ों रूपया मूल के इस भू खण्ड को एक स्थानीय दबंग व्यक्ति अपने आवास और फूड प्लाजा के भू खण्ड के बीच के दिवार तोड़ कर इसमें घुस गये है, स्थानीय नागरीकों के आवेदन पर इसकी जाँच कोल्हान परिक्षेत्र के तत्कालीन डी0आई0जी श्री अरूण कुमार सिंह ने माननीय राज्यपाल के तत्कालीन सलाहकार श्री के0विजय कुमार के निर्देश पर किया है और आरोप की पुष्टि किया है। परन्तु इस भू खण्ड को प्रशान ने अभी तक अवैध कब्जा से मुक्त नहीं कराया है ताकि इस पर फूड प्लाजा को पुनः स्थापित किया जा सके टाटा लीज एग्रीमेन्ट के मुताबिक लीज भूमि का असली मालिक राज्य सरकार है। मैं सदन के माधम से इस गंभीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ और मांग करता हूँ कि इस भू खण्ड को अविलम्ब अवैध कब्जा से मुक्त कराया जाय एवं अवैध कब्जा करने की आपराधिक साजिश करने वाले के विरूद्ध कार्रवाई कर आम जनता को फूड प्लाजा का पूर्ववत उपयोग करने का अवसर प्रदान किया जाय।	
05	श्री योगेन्द्र प्रसाद श्री शशि भूषण समाड़ एवं श्री कुणाल षड़ंगी स0वि0स0	बोकारो जिला पेटरवार प्रखण्ड तेनुघाट डैम के निकट पंचायत सहचरिया तथा तेनुघाट पंचायत के अन्तर्गत पड़ने वाले सारे जमीन झारखण्ड सरकार जल संसाधन विभाग के निहित है। पंचायती राज व्यवस्था होने के बावजूद यहाँ के गरीबों को उक्त जमीन में इंदिरा आवास तथा	राजस्व एवं भूमि सुधार

क्र० प्र० 32

		अन्य सरकार से मिलनेवाली सुविधा जैसे सामुदायिक भवन , विवाह भवन सभा स्थल जमीन का एन0ओ0सी0 नहीं मिलने के कारण नहीं बन पा रहे है। ज्ञात हो कि वहाँ पर अनुमंडल कार्यालय, कोर्ट चल रहा है तथा जल संसाधन के विभागीय लोग रह रहे है। पानी बिजली सरकार द्वारा दिया जा रहा है। अतः उक्त जमीन में आवासीत लोगों को लीज पर क्वार्टर तथा गरीबों को इंदिरा आवास तथा आम लोगों के लिए सामुदायिक भवन, विवाह भवन, सभा स्थल इत्यादि बनाने के लिए उक्त जमीन का एन0ओ0सी0 देने हेतु ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	

रॉंची

दिनांक– 09 मार्च, 2015

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0–ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0–02/15–......811......./वि0स0, रॉंची, दिनांक–8/3/15

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के मा0 सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रॉंची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय, रॉंची खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले/ वन एवं पर्यावरण विभाग/ नगर विकास विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

(छोटेलाल टुडू)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0–ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0–02/15–....811........./वि0स0, रॉंची, दिनांक–8/3/15

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/ आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, रॉंची।